

PACS-FPO एकीकरण के अवसरों का आकलन

यह एडिटरियल 17/07/2023 को 'हट्टि बज़िनेसलाइन' में प्रकाशित [“Catalysing cooperation between PACS and FPO”](#) लेख पर आधारित है। इसमें प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के समक्ष वदियमान चुनौतियों और अवसरों के बारे में चर्चा की गई है।

प्रलिमिंस के लिये:

[ई-कॉमर्स, ई-लर्निंग, ई-हेल्थकेयर, जैविक कृषि, कृषि वानिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, चक्रीय अर्थव्यवस्था, जन सेवा केंद्र](#)

मेन्स के लिये:

PACS-FPO के एकीकरण से संबंधित चुनौतियाँ और अवसर

भारत का कृषि क्षेत्र विशाल और विविध है, जिससे 13 करोड़ से अधिक किसान संलग्न हैं, जिनमें से अधिकांश लघु एवं सीमांत किसान हैं। इन किसानों को सशक्त बनाने और वित्त, बाज़ार एवं सेवाओं तक उनकी पहुँच में सुधार करने के लिये सरकार ने विभिन्न पहलें शुरू की हैं, जैसे [प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ \(Primary Agriculture Cooperative Societies- PACS\)](#) का कम्प्यूटरीकरण और [किसान उत्पादक संगठनों \(Farmer Producer Organizations- FPOs\)](#) का गठन।

PACS-FPO एकीकरण नकियों और किसानों दोनों के लिये ही लाभ का सौदा है। यह सहयोग एवं सहकार्यता के ऐसे मॉडल का सृजन कर सकता है जो अन्य क्षेत्रों और भू-भागों को प्रेरित कर सकता है।

[ग्रामीण अर्थव्यवस्था](#) को रूपांतरित करने और [किसानों की आय एवं आजीविका बढ़ाने](#) में ये दोनों नकियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हालाँकि अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिये उन्हें सहकरियात्मक और सहयोगात्मक तरीके से मलिकर कार्य करने की ज़रूरत है।

PACS और FPOs:

■ प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ (PACS):

- PACS सहकारी समितियाँ हैं जो अपने सदस्यों, जिनमें अधिकतर किसान हैं, को अल्पकालिक ऋण और अन्य सेवाएँ प्रदान करती हैं।
- वे भारत में सहकारी ऋण संरचना के ज़मीनी स्तर के संस्थान हैं।
- देश में लगभग 90,000 PACS हैं, 13 करोड़ किसान जिनके सदस्य हैं।
- कम्प्यूटरीकरण द्वारा PACS को रूपांतरित किया जा रहा है; वे बहुसेवा प्रदान कर रहे हैं, जन सेवा केंद्र (CSC) के रूप में बजिली, जल, दवाओं का वितरण और अन्य सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।

■ किसान उत्पादक संगठन (FPOs):

- FPOs किसानों के समूह द्वारा गठित ऐसे वधिक नकियाँ हैं जो समान हति और लक्ष्य साझा करते हैं।
- वे विभिन्न वधिक रूपों—जैसे सहकारी समितियाँ, कंपनियाँ, ट्रस्ट या समितियों के तहत पंजीकृत होते हैं।
- FPOs का लक्ष्य छोटे और सीमांत किसानों की उपज और सौदेबाजी शक्ति का समूहन करवित्त और बाज़ारों तक उनकी पहुँच को बेहतर बनाना है।
- वे अपने सदस्यों को तकनीकी सहायता, इनपुट आपूर्ति, मूल्यवर्द्धन और गुणवत्ता आश्वासन भी प्रदान करते हैं।
- देश में लगभग 7,500 FPOs कार्यरत हैं, जो विभिन्न एजेंसियों द्वारा पंजीकृत हैं।

PACS-FPO एकीकरण की महत्ता:

■ किसानों को सशक्त करना:

- यह एकीकरण किसानों को एक व्यापक सहायता प्रणाली प्रदान कर सकता है जो क्रेडिट सेवाओं, विपणन अवसरों और तकनीकी सहायता को संयुक्त करता है।
- यह समग्र दृष्टिकोण किसानों की आय बढ़ाने और उनकी समग्र भलाई में सुधार करने में योगदान कर सकता है।

- **बाज़ार तक पहुँच और मूल्यवर्द्धन:**
 - PACS के स्थापित बाज़ार संपर्कों और नेटवर्क से FPOs लाभ उठा सकते हैं तथा अपनी पहुँच के वसतिार के साथ ही अपनी सौदेबाजी शक्ति को बढ़ा सकते हैं।
 - यह एकीकरण FPOs को बेहतर बाज़ारों तक पहुँच बनाने, अनुकूल मूल्यों के लिये सौदेबाजी कर सकने और अपनी कृषिउपज में मूल्यवर्द्धन कर सकने में सक्षम बना सकता है।
- **ज्ञान साझेदारी और वशिषज्जता:**
 - PACS ग्रामीण वतित के मामले में अपने अनुभव और वशिषज्जता के साथ, FPOs के साथ अपने ज्ञान एवं सर्वोत्तम अभ्यासों की साझेदारी कर सकते हैं।
 - यह सहयोग FPOs को वतिततीय प्रबंधन, जोखमि मूल्यांकन और शासन जैसे क्षेत्रों में उनकी परचालन दक्षता को सशक्त करने में मदद कर सकता है।
- **‘रसिोर्स पूलिंग’:**
 - इस एकीकरण से वतिततीय संसाधनों, अवसंरचना और तकनीकी वशिषज्जता सहित संसाधन जुटाने या रसिोर्स पूलिंग (Resource Pooling) का लाभ प्राप्त हो सकता है।
 - PACS और FPOs के बीच संसाधनों की साझेदारी से लागत को अनुकूलति कथिा जा सकता है, दक्षता बढ़ाई जा सकती है और तालमेल का नरिमाण कथिा जा सकता है, जसिसे दोनों संस्थाओं को लाभ होगा।
- **नीतिसमर्थन और मान्यता:**
 - PACS और FPOs का एकीकरण सामूहिक कार्रवाई और कसिान-केंद्रति पहलों के महत्त्व की ओर ध्यान आकर्षति कर सकता है।
 - इससे ऐसे नीतिसमर्थन का वकिस हो सकता है, जसिसे एकीकृत मॉडल को और बढ़ावा देने तथा सशक्त करने के लयिअनुकूल नीतयिाँ, प्रोत्साहन और योजनाएँ लाई जा सकती हैं।
 - उदाहरण के लयि वे FPOs जो ‘एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP) से संबद्ध हैं और वशि्व बैंक प्रायोजति ‘स्मार्ट’ (SMART) तथा केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, वे तुलनात्मक रूप से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं; यहाँ तक कएिा करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर को भी पार कर रहे हैं।
- **नवाचार और प्रौद्योगिकी अपनाना:**
 - PACS और FPOs को एकीकृत करने से नवोनमेषी अभ्यासों और प्रौद्योगिकयिों को अपनाने में सुवधि हो सकती है।
 - इससे कृषिउत्पादकता में सुधार, कुशल आपूर्ति शृंखला और बेहतर बाज़ार पहुँच के परिणाम प्राप्त होंगे, जो कृषिक्षेत्र की समग्र वृद्धि और वकिस में योगदान कर सकते हैं।

PACS और FPOs की सामूहिक भूमिका:

- **ऋण में सहयोग:**
 - PACS, FPOs और उनके सदस्यों को रथियती दरों एवं लचीली शर्तों परऋण एवं अन्य सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं। इससे FPOs को अपनी वतिततीय बाधाओं को दूर करने और अपने परचालन स्तर को बढ़ाने में मदद मलिंगी।
- **बेहतर नेटवर्कगि:**
 - FPOs अधिक कसिानों और बाज़ारों तक पहुँच बनाने के लयि PACS के मौजूदा नेटवर्क और अवसंरचना का लाभ उठा सकते हैं। इससे FPOs को अपनी लेनदेन लागत कम करने और अपनी दक्षता बढ़ाने में मदद मलिंगी।
- **सामूहिक वपिणन:**
 - PACS अपनी उपज के लयि बेहतर मूल्य और गुणवत्ता प्राप्त करके FPOs की सामूहिकवपिणन और मूल्य संवर्द्धन गतवधियिों से लाभ उठा सकते हैं। इससे PACS को अपनी लाभप्रदता और स्थरिता में सुधार लाने में मदद मलिंगी।
- **सामाजिक पूंजी का लाभ उठाना:**
 - FPOs अपने प्रशासन और नरिणयन में कसिानों को शामिल करके PACS के पास मौजूद सामाजिक पूंजी एवं भरोसे से लाभ उठा सकते हैं। इससे FPOs को अपनी वैधता और जवाबदेही बढ़ाने में मदद मलिंगी।
- **अन्य आर्थिक सहयोग:**
 - PACS और FPOs संयुक्त रूप से मधुमकखी पालन, मशरूम की खेती, गैर-कृषिगतवधियिों (हथकरघा, हस्तशलिप, यात्रा, मीडिया, शकिषा एवं स्वास्थय) जैसी उच्च आय सृजन करने वाली गतवधियिों पर संयुक्त रूप से कार्य कर सकते हैं।

PACS-FPOs एकीकरण से संबंधति चुनौतयिाँ:

- **संगठनात्मक और सांस्कृतिक अंतर:**
 - PACS और FPOs एक-दूसरे से भनिन संगठनात्मक संरचनाएँ, शासन प्रणाली और परचालन प्रक्रयिाएँ रखते हैं।
 - दोनों नकियों को एकीकृत करने के लयि इन भनिनताओं को दूर करने और एक ऐसे सामंजस्यपूर्ण ढाँचा स्थापति करने की आवश्यकता होगी जो दोनों को समायोजति करे।
- **वशिवास और सहयोग:**
 - सफल एकीकरण के लयि PACS और FPOs के बीच वशिवास नरिमाण और सहयोग को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है।
 - PACS के कसिानों के साथ प्रायः दीर्घकालिक संबंध होते हैं और FPOs को स्वयं को वशि्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापति करने की आवश्यकता है। कसिी भी शुरुआती संदेह या प्रतसिंध पर काबू पाना इस सहयोग के वकिस के लयि महत्त्वपूर्ण होगा।
- **वनियामक और कानूनी ढाँचे में सुधार:**
 - PACS और FPOs को नयित्तरति करने वाले नयिामक और कानूनी ढाँचे को संरेखति करना चुनौतीपूर्ण सदिध हो सकता है।
 - कसिी भी वसिंगति को दूर करने, प्रवर्तनीय कानूनों का अनुपालन सुनिश्चति करने और एकीकृत संचालन के लयि एक सहायक नयिामक

- (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

प्रश्न. भारत में 'शहरी सहकारी बैंकों' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

1. उनका पर्यवेक्षण और वनियमन राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय बोर्डों द्वारा किया जाता है।
2. वे इक्विटी शेयर और वरीयता शेयर जारी कर सकते हैं।
3. उन्हें 1966 में एक संशोधन के माध्यम से बैंकिंग वनियमन अधिनियम, 1949 के दायरे में लाया गया था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

[?/?/?/?/?]:

प्रश्न. "गाँवों में सहकारी समितियों को छोड़कर ऋण संगठन का कोई भी ढाँचा उपयुक्त नहीं होगा।" - अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण। भारत में कृषिवित्त की पृष्ठभूमि में इस कथन पर चर्चा कीजिये। कृषिवित्त प्रदान करने वाली वित्त संस्थाओं को कनिष्ठ बाधाओं और कसौटियों का सामना करना पड़ता है? ग्रामीण सेवारथियों तक बेहतर पहुँच और सेवा के लिये प्रौद्योगिकी का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है?" (2014)